

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज. अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

प्रभुलाल पिता भागुता मीणा नि. समरा माता का झुपडा
बनाम

सोकरण पिता ग्यारसा मीणा नि. समरा माता का झुपडा वगैरा

किरम मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 387/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुवे
11.05.22	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम अमरवासी प. ह. अमरवासी तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2434/3, 2450/3, 2464, 2475/2, 2484, 2485/2 कुल कित्ता 6 रकबा 0.5261 हैक्टैयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगटी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगटी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मेरे पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2078 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगटी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगटी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एकट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम अमरवासी प. ह. अमरवासी तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2434/3, 2450/3, 2464, 2475/2, 2484, 2485/2 कुल कित्ता 6 रकबा 0.5261 हैक्टैयर की पडोसियान की उपस्थिति में पत्थरगटी करने हेतु मू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500-रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 11.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

Du
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)